भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *133

(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत सभी के लिए आवास

***133. श्री जयन्त बसुमतारीः**

श्री राजकुमार चाहरः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों के बीच सभी के लिए आवास के आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की भूमिका और इसका प्रभाव क्या है और 'सभी के लिए आवास ' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा चरण-I और चरण-II के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कुल कितने आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों की राज्य , जिला और ब्लॉक-वार कुल संख्या और उनके लिए स्वीकृत , जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक के जिलों, विशेषकर चिक्काबल्लापुर सहित इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत लाभों में वृद्धि करने और योजना दस्तावेज में संशोधन करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस योजना के अंतर्गत पूरे हो चुके मकानों की जियो टैगिंग का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो अब तक जियो-टैग किए गए स्थलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत सभी के लिए आवास"के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *133 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटाबेस और अंतिम आवास+ सर्वेक्षण सूची के तहत आवास अभाव मानदंडों के आधार पर की जाती है।

भारत सरकार ने अप्रैल, 2024 से मार्च, 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के आवासों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करके आवास+ (2018) सूची (अद्यतन किए जाने के बाद) और एसईसीसी 2011 पीडब्ल्यूएल के शेष पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, 24.07.2025 तक मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया है, जिसके सापेक्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3.84 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत किए है और 2.81 करोड़ आवास पहले ही पूरे हो चुके हैं।

लक्ष्य की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय नियमित आधार पर निम्नलिखित पहल कर रहा है:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन और पर्याप्त निधियां जारी करना।
ii. मंत्रालय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।
iii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई -जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड की शुरूआत।

iv. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि का प्रावधान और केंद्रीय अंश और राज्य अंश जारी करने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

v. निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार प्रदान करना , जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा का वातावरण तैयार हो सके।

(ख): दिनांक 24.07.2025 तक मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी आवास लक्ष्यों और स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और महाराष्ट्र भी शामिल हैं, **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय समग्र रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लक्ष्य आवंटित करता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का संचयी जिला/ब्लॉक-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/---> AwaasSoft--> Reports--> Hbuses progress against the target financial year पर देखा जा सकता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानते हुए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सीधे जारी की जाती है। इसके बाद संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यह निधि लाभार्थियों को जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष-वार उपयोग की गई निधि से संबंधित जिला/ब्लॉक-स्तरीय आँकड़े कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/-->AwaasSoft-->Reports-->High level financial progress report पर देखे जा सकते हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत, पूर्ण हुए आवासों, जारी की गई केंद्रीय अंश की निधि और उपयोग की गई निधि (राज्य अंश सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): दिनांक 24.07.2025 तक मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी आवास लक्ष्यों और स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों का कर्नाटक राज्य सहित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर और अन्य जिलों सहित संचयी जिला/ब्लॉक-वार ब्यौरा कार्यक्रम

की वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/---> AwaasSoft--> Reports--> Houses progress against the target financial year पर देखा जा सकता है।

(ङ): देश के ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने की मंजूरी दी है। लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और 2 पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) या किसी अन्य विशिष्ट वित्तपोषण स्रोत के साथ समन्वय के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी लाभार्थी को मनरेगा योजना के साथ समन्वय से अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान दरों (लगभग 27,000 रुपये) पर 90/95 श्रम दिवस अकुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य संबंधित योजनाओं के साथ समन्वय से पेयजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में पीएमएवाई-जी योजना के तहत इकाई सहायता बढ़ाने के संबंध में मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च): किसी लाभार्थी को किस्त जारी करना, निर्माण के एक पूर्व-निर्धारित चरण के पूरा होने और उस चरण की भू-चिह्नित (जियो-टैग), समय और तारीख अंकित फोटो को आवासऐप के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने पर निर्भर करता है। पीएमएवाई-जी के तहत, आवास निर्माण के प्रत्येक चरण पर समय और दिनांक के साथ जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य है, जिसमें आवास की मंजूरी से पहले 'मौजूदा स्थल' और 'प्रस्तावित स्थल' की जियो-टैगिंग करना भी शामिल है। मंत्रालय का आवासऐप मोबाइल एप्लिकेशन इसकी सुविधा प्रदान करता है। दिनांक 24.07.2025 तक, पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को आवासों की मंजूरी से पहले जियो-टैग किए गए आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत सभी के लिए आवास"के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *133 के (ख) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 24.07.2025 तक मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी आवास लक्ष्य और स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं, निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत संचयी आवास	संचयी पूर्ण हुए आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
2	असम	29,87,868	28,75,392	20,71,467
3	बिहार	50,12,752	49,01,233	38,30,403
4	छत्तीसगढ़	26,42,224	23,75,745	14,89,544
5	गोवा	257	254	242
6	गुजरात	9,02,354	8,29,202	5,88,790
7	हरियाणा	1,06,460	74,909	39,732
8	हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,550	35,322
9	जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,773	3,13,323
10	झारखंड	20,12,107	19,39,716	15,71,615
11	केरल	2,32,916	76,167	34,363
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	49,38,196	38,47,563
13	महाराष्ट्र	43,70,829	40,82,626	13,80,724
14	मणिपुर	1,08,550	1,01,549	38,028
15	मेघालय	1,88,034	1,85,772	1,49,460
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,307
17	नागालैंड	48,830	48,760	36,216
18	ओडिशा	28,49,889	28,11,018	24,20,261
19	पंजाब	1,03,674	76,723	41,452

20	राजस्थान	24,97,121	24,32,047	17,49,778
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,43,290	6,45,573
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,279	3,71,132
24	उत्तर प्रदेश	36,85,704	36,56,226	36,37,964
25	उत्तराखंड	69,194	68,534	68,218
26	पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,032	34,19,419
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,424	2,593	1,302
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,364	10,935	5,020
29	लक्षद्वीप	45	53	45
30	आंध्र प्रदेश	2,47,114	2,46,930	88,799
31	कर्नाटक	9,44,140	5,02,838	1,57,328
32	तेलंगाना	0	0	0
33	लद्दाख	3,004	3,004	3,004
कुल		**4,12,31,890**	**3,84,28,293**	**2,80,98,378**

टिप्पणी: दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया गया है। तेलंगाना राज्य ने पिछले चरण (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया था।

अनुबंध- ।।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत सभी के लिए आवास"के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *133 के (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(।) पीएमएवाई-जी के तहत पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान स्वीकृत आवास	वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूर्ण किए गए आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	32,149	34,759
2	असम	21,63,318	18,01,756
3	बिहार	23,91,642	28,41,593
4	छत्तीसगढ़	11,64,819	7,47,263
5	गोवा	95	217
6	गुजरात	5,25,376	3,74,529
7	हरियाणा	49,999	20,372
8	हिमाचल प्रदेश	89,652	28,260
9	जम्मू और कश्मीर	2,64,643	2,92,491
10	झारखंड	9,61,475	9,53,624
11	केरल	55,629	17,573
12	मध्य प्रदेश	30,01,607	22,37,248
13	महाराष्ट्र	25,54,203	9,40,559
14	मणिपुर	91,649	29,156
15	मेघालय	1,54,321	1,32,876
16	मिजोरम	23,445	22,077
17	नागालैंड	44,522	32,512
18	ओडिशा	12,70,759	12,23,835
19	पंजाब	49,730	27,683
20	राजस्थान	11,50,800	9,34,350
21	सिक्किम	320	341

22	तमिलनाडु	3,67,237	4,12,519
23	त्रिपुरा	3,28,783	3,40,954
24	उत्तर प्रदेश	22,15,798	22,20,121
25	उत्तराखंड	56,021	55,861
26	पश्चिम बंगाल	22,14,956	18,03,492
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,674	1,016
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5,608	4,589
29	लक्षद्वीप	0	36
30	आंध्र प्रदेश	1,81,227	42,092
31	कर्नाटक	2,59,308	71,924
32	तेलंगाना	0	0
33	लद्दाख	1,776	1,660
कुल		**2,16,72,541**	**1,76,47,338**

टिप्पणी:

1. दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षे त्रों में पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया गया है। तेलंगाना राज्य ने पिछले चरण (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया था।
2. पूर्ण हो चुके आवासों में पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत आवास भी शामिल हैं , क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास को पूरा करने के लिए स्वीकृति की तारीख से 12 महीने का समय दिया गया है।

(II) पीएमएवाई-जी के तहत पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधि (राज्य के हिस्से सहित) में केंद्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान जारी केंद्रीय अंश (करोड़ रुपये में)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई निधि (राज्य के लिए निर्धारित अंश सहित)

			(करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	376.04	422.17
2	असम	23,686.98	24,324.21
3	बिहार	19,572.62	33,113.61
4	छत्तीसगढ़	7,704.00	9,943.59
5	गोवा	0.00	1.99
6	गुजरात	3,653.56	5,303.19
7	हरियाणा	191.02	257.96
8	हिमाचल प्रदेश	1,052.29	883.02
9	जम्मू और कश्मीर	3,474.43	3,728.37
10	झारखंड	6,835.28	11,316.15
11	केरल	138.42	334.59
12	मध्य प्रदेश	19,969.61	28,280.10
13	महाराष्ट्र	10,001.77	14,217.08
14	मणिपुर	653.12	544.61
15	मेघालय	1,978.91	2,090.62
16	मिजोरम	258.50	274.29
17	नागालैंड	476.38	529.93
18	ओडिशा	10,692.78	16,348.14
19	पंजाब	411.62	453.03
20	राजस्थान	5,979.04	11,151.20
21	सिक्किम	3.12	4.72
22	तमिलनाडु	3,207.26	4,918.34
23	त्रिपुरा	4,228.05	4,350.90
24	उत्तर प्रदेश	16,086.31	26,978.46
25	उत्तराखंड	685.72	738.79
26	पश्चिम बंगाल	9,498.38	16,680.08
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.33	16.56
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	16.12	112.26

29	लक्षद्वीप	0.00	0.01
30	आंध्र प्रदेश	425.75	682.22
31	कर्नाटक	632.56	915.73
32	तेलंगाना	0.00	0.00
33	लद्दाख	21.99	20.61
कुल		**1,51,933.95**	**2,18,936.55**

टिप्पणी: दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया गया है। तेलंगाना राज्य ने पिछले चरण (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया था।

अनुबंध- III

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत सभी के लिए आवास"के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *133 के (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 24.07.2025 तक पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करने से पहले जियो-टैग किए गए आवास स्थलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवास स्वीकृति से पहले जियो-टैग किए गए लाभार्थी परिवारों के आवास स्थल
1	अरुणाचल प्रदेश	35,591
2	असम	28,75,392
3	बिहार	49,01,233
4	छत्तीसगढ़	23,75,745
5	गोवा	254
6	गुजरात	8,29,202
7	हरियाणा	74,909
8	हिमाचल प्रदेश	97,550
9	जम्मू और कश्मीर	3,34,773
10	झारखंड	19,39,716
11	केरल	76,167
12	मध्य प्रदेश	49,38,196
13	महाराष्ट्र	40,82,626
14	मणिपुर	1,01,549
15	मेघालय	1,85,772
16	मिजोरम	29,959
17	नागालैंड	48,760
18	ओडिशा	28,11,018
19	पंजाब	76,723
20	राजस्थान	24,32,047
21	सिक्किम	1,397

22	तमिलनाडु	7,43,290
23	त्रिपुरा	3,76,279
24	उत्तर प्रदेश	36,56,226
25	उत्तराखंड	68,534
26	पश्चिम बंगाल	45,69,032
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,593
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10,935
29	लक्षद्वीप	53
30	आंध्र प्रदेश	2,46,930
31	कर्नाटक	5,02,838
32	तेलंगाना	0
33	लद्दाख	3,004
कुल		**3,84,28,293**

टिप्पणी: दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी को कार्यान्वि त नहीं किया गया है। तेलंगाना राज्य ने पिछले चरण (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया था।

*****